भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2718
जिसका उत्तर मंगलवार 01 अगस्त, 2017 को दिया जाना है

पूंजीगत माल योजना की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना

2718. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावाः
श्री जॉर्ज बेकरः
श्री कंवर सिंह तंवरः
श्री अनूप मिश्राः
श्रीमती किरण खेरः

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूंजीगत माल की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने संबंधी योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसके अंतर्गत स्वीकृत, आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना की शुरुआत से अब तक इसके अंतर्गत कितने केन्द्र प्रस्तावित और स्थापित किए गए हैं और उक्त केन्द्रों की स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन केन्द्रों की स्थापना के संबंध में कुछ राज्यों में समस्या का सामना किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि की स्कीम वर्ष 2014 से प्रचालनरत है। इस स्कीम का उद्देश्य है कि प्रौद्योगिकी गहनता में सुधार के मुद्दे का निवारण और साझा औद्योगिक सुविधा केन्द्रों की स्थापना करके भारतीय केपिटल गुड्स उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाया जाए। स्कीम का कुल परिव्यय ₹930.96 करोड़ है जिसमें ₹581.22 करोड़ की सरकारी बजटीय सहायता शामिल है। इस

स्कीम में उद्योग की सक्रिय भागीदारी की परिकल्पना तो की ही गई है, साथ ही इसके एक घटक के रूप में उद्योग के योगदान को भी समग्र रूप से अनिवार्य बनाया गया है। इस स्कीम में प्रौद्योगिकी विकास, एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना सुविधा केन्द्र (आईआईआईएफ), साझा इंजीनियरी सुविधा केन्द्र (सीईएफसी) और जांच एवं प्रमाणन केन्द्र (टीएंडसीसी) के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) की स्थापना हेतु अवसंरचनात्मक घटक हैं। इस स्कीम में केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रौद्योगिकी अधिग्रहण अथवा अंतरण के लिए प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम के माध्यम से वित्तीय उपाय की भी व्यवस्था की गई है। उक्त स्कीम के अलग-अलग घटकों के अंतर्गत अब तक 14 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं, जो उद्योग की सक्रिय भागीदारी के साथ अलग-अलग चरण पर कार्यान्वयनाधीन है। स्कीम के ब्यौरे भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट dhi.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(ख): स्कीम के अलग-अलग घटकों के अंतर्गत, अलग-अलग अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बजटीय सहायता के रूप में अब तक ₹314.90 करोड़ की राशि प्रतिबद्ध की गई है। अब तक, स्कीम के अंतर्गत ₹83.63 करोड़ जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ): इस स्कीम में 05 उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई), 01 एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना सुविधा केन्द्र (आईआईआईएफ), 02 साझा इंजीनियरी सुविधा केन्द्र (सीईएफसी) और 01 जांच एवं प्रमाणन केन्द्र (टीएंडसीसी) की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है। अब तक, 04 सीओई (सीएमटीआई, बैंगलोर, आईआईटी, मद्रास, पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नालॉजी, कोयम्बटूर तथा सि'टार्क, कोयम्बटूर में सीओई) स्थापित कर दिए गए हैं। एक एकीकृत मशीन टूल पार्क स्कीम के आईआईआईएफ घटक के अंतर्गत कर्नाटक सरकार के सहयोग से तुमकुर के निकट वसंतनरसापुरा में शुरू होने वाला है। कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के लिए बैंगलोर स्थित एचएमटी मशीन टूल्स द्वारा, एचईसी, रांची में सीईएफसी प्रथम फाउंडेशन द्वारा, बारदौली, गुजरात में सेतु फाउंडेशन द्वारा चाकन, महाराष्ट्र में टेग्मा उत्कृष्टता एवं प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा 04 सीईएफसी की स्थापना की जा रही है।

(ङ): जी, नहीं।

(च): उपर्युक्त (ङ) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं।

****